(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3319–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 29/अपील/2011–12.

.....

1–जुम्मनखॉ पिता बाबूखॉ मुसलमान
निवासी छिदगॉव तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0

2–महरूननिशा पत्नि जुम्मनखॉ मुसलमान
निवासी छिदगॉव तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0

3–शब्बीर खॉ पिता बाबूखॉ मुसलमान
निवासी छिदगॉव तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

राजेन्द्र आत्मज रामकृष्ण
निवासी ग्राम अहिल्याबाड़ा तहसील टिमरनी,
जिला हरदा

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0यदुवंशी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शाहपुर तहसील सिवनीमालवा स्थित भूमि सर्वे कमांक 109/1, 109/2, 33/4 एवं 33/3 कुल रकबा 26.31 एकड़ भूमि बाबूखॉ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । बाबूखॉ द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा आवेदकगण एवं उसके नाती अमजदखॉ के मध्य कर दिया गया । अमजद खॉ द्वारा हिस्से में प्राप्त भूमि सर्वे कमांक 109/4 रकबा 4 एकड़ का विक्रय अनावेदक को कर दिया गया । पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक द्वारा उक्त भूमि पर नामान्तरण कराने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 22–2–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–2–11 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–6–15 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मुस्लिम विधान में जो सुन्नी विधि है उसके अनुसार बटवारा किस प्रकार से किया जायेगा और भूमिस्वामी की मृत्यु के उपरांत किसको कितना अंश प्राप्त होगा। यह स्वत्व का प्रश्न है जिसके निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है । यह भी कहा गया कि बाबूखॉ द्वारा किया गया बटवारा आदेश शून्यवत् है, अतः जब अमजदखॉ को ही 4 एकड़ भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं है, तब अनावेदक को अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में नामान्तरण नियमों को अनदेखा किया गया है, अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में संहिता के प्रावधानों में बने नियमों की गंभीर भूल की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बाबूखॉ द्वारा अपने जीवनकाल में 4 एकड़ भूमि अमजदखॉ को बटवारे में दी गई है और उक्त आदेश आज भी अस्तित्व में है, ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय किये जाने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त का आदेश व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के कारण व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जिसकी अपील लंबित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि पर राजस्व न्यायालय नामान्तरण करने के लिये बाध्य है और जबतक पंजीकृत विक्रय पत्र अस्तित्व में है तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निरगानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त जिस दिनांक 25–6–2015 को आदेश पारित किया गया है उस समय व्यवहार वाद लंबित था । व्यवहार वाद में दिनांक 19–11–2015 को आदेश पारित हुआ है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ उन्हें प्रत्यावर्तित किया जाये

कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पुनः गुणदोष पर निर्णय लेकर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण कर आदेश पारित करने के लिये अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर